राजस्थान सरकार

जरिये ई–मेल अतिआवश्यक

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001

दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांकः–निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–नीति/2019/553-613 दिनांक 19 .02.2020

अतिरिक्त निदेशक खान, जोन– जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

अधीक्षण खनि अभियंता वृत– जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भीलवाड़ा/राजसमंद/उदयपुर /बीकानेर/कोटा/भरतपुर।

खनि अभियंता– जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/आमेट/ राजसमन्द–प्रथम/द्वितीय/ बून्दी–प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी /झून्झूनू /सोजतसिटी /भीलवाड़ा/धौलपुंर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूँगरपुर/जालौर /बॉसवाड़ा/ श्रीगंगानगर/ बाड़मेर/जैसलमेर/ भरतपुर

सहायक खनि अभियंता–

सलूम्बर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/चूरू/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/ सावर/ब्यावर

विषय :– सिलिकोसिस पीडित व्यक्तियों एवं उसके परिवार को देय सहायता के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ.8(24)सिलिकोसिस/ /नि.वि.यो. /2019/9166–98 जयपुर दिनांक 09.10.2019 के क्रम में। (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 09.10.2019 (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम एवं इससे पीडित व्यक्तियों की सहायता हेतु न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति दिनांक 03.10.2019 को (माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा) जारी की गई हैं। इस नीति के अन्तर्गत सिलिकोसिस की रोकथाम, पीडित परिवार की सहायता तथा सिलिकोसिस रोकने के प्रावधान ना करने वालों के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की व्यवस्था सम्भावित हैं।

इस नीति के अन्तर्गत उल्लेखित विभिन्न कार्यों हेतु प्रकिया का निर्धारण प्रारम्भ किया जा चुका हैं। इस कम में जारी किए जाने वाले प्रक्रियात्मक निर्देशों के प्राप्त होने तक सिलिकोसिस के मरीज की पहचान एवं Certification, तथा पीडित व्यक्ति एवं परिवार को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि रू. 5 लाख (रू. 3 लाख पीडित के प्रमाणीकरण पर, एवं रू. 2 लाख परिवार को पीडित की मृत्यु उपरान्त) वर्तमान में प्रचलित प्रकिया के माध्यम से दिए जाते रहेंगें।

अतः संलग्न पत्रानुसार आपके जिले के आज दिनांक तक लम्बित प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन का त्वरित निस्तारण करते हुए लम्बित सहायता का वितरण भी स्वीकृति निकालकर शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

19.2.20

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांकः–निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–नीति/2019/614-616 दिनांक 19 .02.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 09.10.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को।
3. प्रभारी अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. को प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करानें का श्रम करावें।

19.2.20

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक: एफ. 8(24)/सिलिकोसिस//नि.वि.यो./2019/9166-98 जयपुर, दिनांक 09/10/19

119
19.2.2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय : सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को देय सहायता के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम एवं इससे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु न्यूमोकोनोसिस (Silicosis) नीति दिनांक 03/10/2019 को (माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा) जारी की गई है। इस नीति के अन्तर्गत सिलिकोसिस की रोकथाम, पीड़ित परिवार की सहायता तथा सिलिकोसिस रोकने के प्रावधान ना करने वालों के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की व्यवस्था सम्भावित है।

इस नीति के अन्तर्गत उल्लेखित विभिन्न कार्यों हेतु प्रक्रिया का निर्धारण प्रारम्भ किया जा चुका है। इस क्रम में जारी किए जाने वाले प्रक्रियात्मक निर्देशों के प्राप्त होने तक सिलिकोसिस के मरीज की पहचान एवं Certification, तथा पीड़ित व्यक्ति एवं परिवार को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि रू. 5 लाख (रू. 3 लाख पीड़ित के प्रमाणीकरण पर, एवं रू. 2 लाख परिवार को पीड़ित की मृत्यु उपरान्त) वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते रहेंगे।

अतः उक्तानुसार आपके जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग एवं खान विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित करें। आज दिनांक तक लम्बित प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन का त्वरित निस्तारण करते हुए लम्बित सहायता का वितरण भी स्वीकृति निकालकर शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव